तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ[illegible] हुक्म की तामी[illegible] में जारी हुए
11-5-16	पत्रावली आज लोक अदालत शिविर सलेमपुर में पेश हुई। अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट नं० 1 उपस्थित हैं। दोनों पक्ष राजीनामे के अनुसार मुकदमे का निर्णय चाहते हैं। इस हेतु इन्होंने राजीनामा प्रस्तुत किया है। राजीनामे का अवलोकन किया। राजीनामे के अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं [illegible] गंगापुर सिटी	

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

कैम्प सलेमपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
07/2016	10.03.2016	11.05.2016

दिलीप पुत्र रामसहाय रेगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी ——अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत सलेमपुर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत सलेमपुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 376

दिनांक 20.09.2006 ग्राम सलेमपुर

उपस्थित:— श्री दिलीप अपीलार्थी
सरपंच ग्राम पंचायत सलेमपुर

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 2.8.2006 से ख0न0 579 रकबा 2.14 हेक्टर ग्राम सलेमपुर क्रय की थी। इसमें अपीलार्थी के पिता का नाम रामसहाय अंकित है परंतु नामान्तकरण में अपीलार्थी के पिता का नाम रामस्वरूप अंकित कर दिया गया है जो भूलवश अंकित हुआ है। अपीलार्थी ख0न0 579 रकबा 2.14 हेक्टर के हिस्सा 1/8 पर खरीद के दिनाक से ही काबिज है परंतु नामान्तकरण मे अपीलार्थी के पिता का नाम रामसहाय के स्थान पर रामस्वरूप अंकित कर दिया गया है। जिसकी शुद्वि होना आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0न0 579 रकबा 2.14 हेक्टर ग्राम सलेमपुर में अपीलार्थी के पिता का नाम संशोधित किया जाकर रामस्वरूप की जगह रामसहाय अंकित किया जावे।

अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्टान को तलव किया गया।

अपील के साथ अपीलार्थी ने नकल नामान्तकरण संख्या 376 दिनांक 20.09.2006, फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 2.8.2006, नकल जमाबंदी संवत

2071–74 की छायाप्रति, फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति, राशनकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट न0 1 ने राजीनामा प्रस्तुत कर नामा0 संख्या 376 में अपीलार्थी के पिता का नाम रामस्वरूप के स्थान पर रामसहाय दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपीलार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा भूमि खरीद का जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है उसने उसके पिता का नाम रामसहाय अंकित है जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलार्थी के पिता का नाम रामस्वरूप अंकित कर दिया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार भी अपीलार्थी के पिता का नाम रामसहाय ही है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 376 दिनांक 20.09.2006 ग्राम सलेमपुर में दर्ज अपीलार्थी के पिता का नाम रामस्वरूप के स्थान पर रामसहाय अंकित करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठिया की जावे। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

5

राजीनामा
(stamp)
11-5-16

प्रपत्र–1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान ....सलेमपुर........

नम्बर मुकदमा........7/2016 अपील नामा०........

उनवान मुकदमा........दिलिप बनाम ग्राम पंचायत सलेमपुर वगैरा

बनाम

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी दिलीप

दिलिप पुत्र रामसहाय
जाति रैगर निवासी सलेमपुर

स्थान........सलेमपुर........

दिनांक........11-5-2016........

प्रपत्र-4

6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुरसिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- सलेमपुर

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 11/5/16

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,,

कैम्प- सलेमपुर

दिलीप बनाम ग्राम पंचायत जरिये सरपंच वगै

प्रकरण संख्या - 7/16 अन्तर्गत धारा 75- L.R. Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री अप्रार्थी दिलीप पुत्र रामसहाय गुर्जर

... है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो ... अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। ... आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :- कि चूंकि उक्त मामला की प्रार्थ. अप्रा. जरिये रजि० नाम की गई थी उसमें अप्रा० के पिता का स्वर्गवास ... दर्ज है परन्तु नामा० में इसे रामसहाय के स्थान पर रामस्वरूप ... लिख दिया सही इन्द्राजीत कर जावा इसे रामस्वरूप के स्थान पर ... दर्ज कर दिया जावे इसमें रेस्पां० को कोई आपत्ति नहीं ... दोनों पक्षों की सहमति अनुसार इन्द्राजीत कर दी जावे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. दिलीप

2. ....

3. ....

4. ....

प्रतिवादी पक्ष 1. ....

2. ....

3. ....

4. [signature]

सरपंच
ग्राम पंचायत सलेमपुर
पं.स.-गंगापुर सिटी (स.मा.)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature]
(वादी) नाम
प्रधानाचार्य
रा० उ० मा० वि०
सलेमपुर (स०मा०)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....
(प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

प्रार्थी / वादी .... एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी .... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ... किया गया। अतः राजीनामा हरस्वख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी